बिहार सरकार
कृषि विभाग

आदेश

पत्र संख्या–11 / कृ.नि.भू.सं. (यो०) 02 / 2018– 3271 / कृ. पटना, दिनांक 01/10/2019

जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा पत्रांक–100 दिनांक–15.07.2019 के माध्यम से राज्यादेश संख्या–958 दिनांक–08.03.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–प्रति बूंद अधिक फसल अंतर्गत घटकवार निर्धारित भौतिक लक्ष्य के अंतर्गत एक घटक की अवशेष राशि को दूसरे घटक में व्यय किये जाने हेतु अनुमति की मॉग की गई है।

राज्यादेश संख्या–958 दिनांक–08.03.2019 की कंडिका 3 के अनुसार योजना के कार्यान्वयन में निर्धारित वित्तीय सीमा के अधीन प्रशासी विभाग द्वारा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा। उक्त के आलोक में राज्यादेश संख्या–958 दिनांक–08.03.2019 में जिला विशेष के लिए निर्धारित वित्तीय सीमा के लक्ष्य के अधीन, अवशेष राशि के व्यय हेतु अंतर घटकीय (inter componental) परिवर्तन संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी / सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण द्वारा किया जा सकेगा।

सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण द्वारा अंतर घटकीय (inter componental) परिवर्तन की सूचना संबंधित उप निदेशक (कृ०अभि०) भूमि संरक्षण / निदेशक, भूमि संरक्षण बिहार, पटना को दी जायेगी।

राज्यादेश संख्या–958 दिनांक–08.03.2019 की शेष कंडिकाएँ एवं अन्य निदेश यथावत रहेंगें।

Rabindra 30.9.19

(रविन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–11 / कृ.नि.भू.सं. (यो०) 02 / 2018 3271 / कृ०, पटना, दिनांक– 01/10/2019

1. प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एव ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 30.9.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–11/कृ.नि.भू.सं. (यो०) 02/2018 3271 /कृ०, पटना, दिनांक 21/10/2019

माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/ कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/ निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS / संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/संबंधित उप निदेशक (कृ०अभि०) भूमि संरक्षण/ संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/ संबंधित सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/ संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप निदेशक (सूचना) बिहार, पटना को विभाग के बेवासाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।